

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री सुरेंद्र सिंह मीना रामचंद्र मीना की ढाणी वार्ड नं० 30, बॉदीकुई जिला दौसा (राज०)
बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा

अपील सं० 15/2018

निर्णय

दिनांक 23.04.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा से सूचना/नकल हेतु दिनांक 02.02.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वाँछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वाँछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2018/305 दिनांक 09.04.18 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा वाँछित सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा, कलक्ट्रेट, दौसा से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के अंतर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा को भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा द्वारा उनके पत्रांक 601 दिनांक 21.02.2018 को आवेदक को सूचना भिजवाई जा चुकी है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा भी उक्त सूचना उन्हें प्राप्त होने पर उनके पत्रांक 228 दिनांक 07.03.2018 द्वारा आवेदक को भिजवाया जाना अंकित किया गया है तथा आवेदक द्वारा दायर अपील के संबंध में प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा), कलक्ट्रेट, दौसा द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति प्राप्त कर वह भी आवेदक को भिजवाया जाना अंकित किया गया है। प्रेषित पत्रों की प्रति पत्रावली में संलग्न है। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाना अंकित कर अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा